दैनिक भास्कर, जोधपुर, गुरुवार, 17 जनवरी 2019

कांग्रेस नेता सिंघवी के खिलाफ स्थगन आदेश हटाने के लिए आयकर विभाग का प्रार्थना पत्र खारिज

अंतिम सुनवाई 15 को

लीगल रिपोर्टर | जोधपुर

कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी की ओर से इनकम टैक्स सैटलमेंट कमीशन की ओर से जारी नोटिस को चुनौती देने वाली याचिका पर राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीश अरुण भंसाली की बैंच में सुनवाई हुई। मामले में सिंघवी के पक्ष में दिए गए स्थगन आदेश को हटाने के लिए आयकर विभाग की ओर से पेश प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया गया।

सिंघवी की ओर से इनकम टैक्स सेटलमेंट कमीशन की ओर से जारी नोटिस को वर्ष 2014 में चुनौती दी गई थी। कोर्ट ने नोटिस पर अंतरिम रोक लगा रखी है। विभाग की ओर से इस पर जारी स्थगन आदेश हटाने व मामले की सुनवाई शीघ्र करने के लिए प्रार्थना पत्र पेश किया। अधिवक्ता केके बिस्सा ने सुप्रीम कोर्ट के एक निर्णय का हवाला देते हुए आग्रह किया कि सिविल अथवा क्रिमिनल मामलों में अदालतों द्वारा दिए गए किसी तरह के स्थगन आदेश छह महीने बाद अपने आप ही निरस्त हो जाएंगे। इसके अनुसार सिंघवी के पक्ष में दिए गए स्थगन आदेश को हटाया जाना चाहिए। सिंघवी की ओर से अधिवक्ता रमित मेहता ने कहा कि यह मामला न तो सिविल प्रकृति का है और न ही क्रिमिनल। यह फिस्कल प्रकृति का मामला है, इसलिए इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय लागू नहीं होता। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि सेटलमेंट कमीशन की ओर से वर्ष 2014 से पूर्व के तीन वर्ष के मामलों के री एसेसमेंट करने के आदेश दिए गए और करीब सौ करोड़ से अधिक का डिमांड नोटिस भी जारी कर दिया गया। जबकि कोर्ट के ही आदेश से नोटिस की 25 प्रतिशत राशि पहले ही जमा कराई जा चुकी थी, जो 25 करोड़ रुपए बनती है। मामले में अंतिम सुनवाई के लिए 15 फरवरी को होगी।

राजस्थान पत्रिका . जोधपुर, गुरुवार, 17 जनवरी, 2019
patrika.com

आयकर विभाग का आवेदन खारिज, सिंघवी के मामले में स्टे हटाने से इनकार

जोधपुर @ पत्रिका. सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता एवं कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी की ओर से वर्ष 2014 में सेटलमेंट कमीशन के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई बुधवार को जस्टिस अरूण भंसाली की पीठ में हुई। सुनवाई के दौरान जस्टिस भंसाली ने आयकर विभाग की ओर से दायर उस आवेदन को खारिज कर दिया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का हवाला देते हुए इस मामले में वर्ष 2014 में कोर्ट द्वारा सिंघवी के पक्ष में दिए गए स्टे को हटाने की मांग की गई थी। जस्टिस भंसाली ने मामले की अंतिम सुनवाई के लिए 15 फरवरी की तिथि निर्धारित की है।

सुनवाई के दौरान आयकर विभाग के अधिवक्ता केके बिस्सा ने सुप्रीम कोर्ट के एक निर्णय का हवाला देते हुए कहा था कि सिविल अथवा क्रिमिनल मामलों में अदालतों द्वारा दिए गए किसी तरह के स्टे छह माह बाद अपने आप ही निरस्त हो जाएंगे। इसके अनुसार अभिषेक मनु सिंघवी की ओर से वर्ष 2014 में दायर मामले में हाईकोर्ट की ओर से दिया गया स्टे हट जाना चाहिए। इस पर सिंघवी की ओर से जवाब पेश करते हुए अधिवक्ता रमित मेहता ने कहा कि यह मामला ना तो सिविल प्रकृति का है और ना ही क्रिमिनल प्रकृति का। यह फिस्कल प्रकृति का मामला है।

इसलिए इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय लागू नहीं होता। यही नहीं सेटलमेंट कमीशन की ओर से वर्ष 2014 से पूर्व के तीन वर्ष के मामलों की पुनः जांच (री एसेसमेंट) करने के आदेश के साथ ही करीब सौ करोड़ से अधिक का डिमांड नोटिस जारी कर दिया गया था। जबकि कोर्ट के ही आदेश से नोटिस का 25 प्रतिशत करीब 25 करोड़ रुपए पहले से ही जमा कराए जा चुके हैं।